न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः शकुन्तला चौधरी

राजस्व वाद सं. 53/2019

1. प्रदीप उम्र 40 वर्ष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी धीरासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

—वादी

बनाम

1. कमला आयु 45 वर्ष पुत्री हरलाल
2. किस्तुरी उम्र 60 वर्ष पुत्री हरलाल
3. चुन्नी उम्र 80 वर्ष पत्नी हरलाल
4. प्यारेलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र हरलाल
5. बलबीर उम्र 30 वर्ष पुत्र हरलाल
6. भंवरलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र हरलाल
7. सन्जु उम्र 35 वर्ष पुत्री हरलाल
8. सावित्री उम्र 47 वर्ष पुत्री हरलाल

(1 से 8) जाति जाट निवासीगण धीरासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगीयासर जरिये शाखा प्रवधंक।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, एवं रिकार्ड दुरूस्ती

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम धीरासर प0ह0 पिलानी खुर्द की सरहद में भूमि ख.न. 12 रकबा 0.31 है. ख.न. 139 रकबा 0.06 है. ख.न. 307 रकबा 2.42 है. ख.न. 733/709 रकबा 0.24 है. ख.न. 734/140 रकबा 0.59 है. ख.न. 9 रकबा 2.29 है. कुल किता 06 कुल रकबा 5.91 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी भूमि रही है। जिस पर प्रार्थी कि हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम प्रदीप है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से जगदीश दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए वाद पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थी का स्वयं का प्रार्थना पत्र, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रदीप है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जगदीश के स्थान पन प्रदीप दर्ज करने का आदेश फरमावें। वाद पत्र दर्ज किया जाकर तहसीलदार मलसीसर से जांच रिपोर्ट प्राप्त कि गयी जो शामिल मीसल है।

बहस वाद पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र में अंकित जगदीश के स्थान पर प्रदीप दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम धीरासर प0ह0 पिलानी खुर्द की सरहद में भूमि ख.न. 12 रकबा 0.31 है. ख.न. 139 रकबा 0.06 है. ख.न. 307 रकबा 2.42 है. ख.न. 733/709 रकबा 0.24 है. ख.न. 734/140 रकबा 0.59 है. ख.न. 9 रकबा 2.29 है. कुल किता 06 कुल रकबा 5.91 है0 जगदीश पुत्र हरलाल हिस्सा 1/9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में उस स्थान पर प्रदीप पुत्र हरलाल करवाने के लिए वाद पत्र सेवा में पेश किया। प्रदीप का नाम का स्वयं का प्रार्थना पत्र, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रदीप ही दर्ज है। इस प्रकार उक्त तहसलीदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट विवेचना से प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जगदीश के स्थान पर प्रदीप दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम धीरासर प0ह0 पिलानी खुर्द की सरहद में भूमि ख.न. 12 रकबा 0.31 है. ख.न. 139 रकबा 0.06 है. ख.न. 307 रकबा 2.42 है. ख.न. 733/709 रकबा 0.24 है. ख.न. 734/140 रकबा 0.59 है. ख.न. 9 रकबा 2.29 है. कुल किता 06 कुल रकबा 5.91 है0 जमांबदी संवत 2074—77 में अंकित जगदीश पुत्र हरलाल के स्थान पर प्रदीप पुत्र हरलाल दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर